1	2	3	4
15	FP to Gwalior Town Phase I	200·60	103·01
16	FP to Bhind Town	24·33	14·91
17	FP to Low Lying Area of Indore Town	59.70	35.17
18	FP to Gurmi Village (distt. Bhind)	14.78	10.61
19	FP to Jabalpur Town from Moti Nalla	41.60	16.03
20	FP to Durg Town (from Shanker Nalla Ph.-I)	29·74	1355
21	FP to Nawapara (Distt. Raipur)	3·85	..
22	FP to Ghat on Nermada at Omkareshwar (District Khergone)	5·54	1·00
23	FP to Ghat on Narmada at Maheshwar (District Khargone)	16·73	0·50
24	FP to Banwaha Ghat on Narmada (District Khargone)	1·24	..
25	FP to Dhamri village, Distt. Raipur	1·45	..
26	FP to Swaikapur village (distt. Raipur)	4·94	1·00
27	FP to Aron village (District Guna)	5·62	1·00
28	FP to Jabalpur Town from Ukhari Nalla	22·36	2·6
29	FP to Ashti village (Distt. Betul)	30·12	5·00
30	FP to Chitrakut Nayazaon (Phase-II) (District Satna)	34·19	8·00
	TOTAL	995·57	587·5

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना

998. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनायें अर्थात (i) मोगरा परियोजना, (ii) पेंच व्यपवर्तन परियोजना, (iii) केलो परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन हैं ;

(ख) उक्त परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को स्वीकृति देने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की मोगरा, पेंच व्यपवर्तन और केलो वृहद सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न

विवरण

सं० परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	लाभ हेक्टे०	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1. मोगरा सिंचाई	77.27	32,620	5/89	राज्य को, केन्द्रीय जल आयोग के साथ जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, नहरों के डिजाइन, लागत अनुमानों पर मुद्दे हल करना अपेक्षित है तथा उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2. केलो सिंचाई	51.88 / 92.45	34,560	5/88 / 4/90	राज्य को बांध के डिजाइन से संबंधित मुद्दे को हल करना तथा कोयला खानों की जलमग्नता के संबंध में कोयला विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करना भी अपेक्षित है।
3. पेंच दिकपरिवर्तन	175.00 / 184.04	118,650	5/85 / 8/88	केन्द्रीय जल आयोग ने तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर लिया तथा 9/89 में यह परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद निवेश स्वीकृति हेतु 2/91 में योजना आयोग के पास भेजी गयी।

परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करती है और यदि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या शामिल है तो पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना के संबंध में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।